CANCELLED CANCELLED

समक्ष => श्रीमान राजस्व मण्डल बोर्ड महोदय ग्वालियर (म०प्र०)

हरीसींग उर्फ हरि प्रसाद बल्द हल्के पटैल
निवासी – ग्राम ऐरन मिर्जापुर, तहसील राहतगढ़, जिला सागर (म.प्र.)

सिगरमी - 5783/2018/सागर/भू.रा.

.... आवेदक / पुनरीक्षणकर्ता

//बनाम//

कुसुमबाई बेबा ग्याप्रसाद पटेल, उम्र 60 वर्ष
निवासी -- ग्राम ऐरन मिर्जापुर, तहसील राहतगढ़, जिला सागर (म.प्र.)

.... अनावेदका / प्रतिपुनरीक्षणकर्ता

B-O-R
30 AUG 2018

रिवी.क्र. तारीख प्रस्तुति : 20.08.2018

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 भू–राजस्व संहिता 1959

आवेदक निम्न प्रार्थी है :–

यह कि, आवेदक निम्न न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार राहतगढ़, जिला सागर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 9अ–70 वर्ष 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 07.08.2018 से दुखित एवं कुंठित होकर निम्न आधार पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है :–

164
13/9/18

प्रकरण के तथ्य एवं तर्क

1) **यह कि,** वाद सम्पत्ति आवेदक की खानदानी सम्पत्ति है। आवेदक के परिवार अरुसादराज पूर्व आपसी बटवारा हो गया था। लेकिन दौरान बंदोवस्त आवेदक के कब्जे की भूमि को पृथ्वी सींग की निकाली गई तथा पृथ्वी सींग ने अपने हक से अधिक भूमि विक्रय कर दी। आवेदक द्वारा उक्त बैनामा शून्य करार हेतु व्यवहार वाद, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, सागर के यहां प्रस्तुत किया है जिसका प्रकरण क्र. 26अ/16 है जो माननीय श्रीमति सुचिता श्रीवास्तव, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 के यहां लंबित है जिसमें अनावेदिका कुसुमबाई पक्षकार है तथा प्रतिवादी क्र. 3 है। अनावेदिका प्रकरण में उपस्थित हो चुकी है। उक्त प्रकरण में बंदोवस्त में हुई त्रुटि को चैलेन्ज किया है क्योंकि आवेदक वर्ष 1986–87 को आपसी बटवारा के अनुसार वाद सम्पत्ति पर मालिक काबिज है। निम्न न्यायालय तहसीलदार, राहतगढ़ के न्यायालय में रिकार्ड दुरुस्ती हेतु आवेदन प्रस्तुत है। उक्त बावत् प्रकरण माननीय तहसीलदार, राहतगढ़ के न्यायालय में लंबित है।

क्रमशः 2 ...

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

२

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-5783/2018/सागर/भू.रा. हरीसींग विरूद्ध कुसुमबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03-10-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक हरीसींग उर्फ हरिप्रसाद की ओर से श्री महेन्द्र यादव अभिभाषक को दिनांक 14-09-2018 को ग्राह्यता पर सुना गया । 2. यह निगरानी आवेदन तहसीलदार राहतगढ़ जिला सागर म.प्र. के प्रकरण क्रमांक 09/अ-70/2016-17 में पारित दिनांक 07-08-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है । 3. आवेदक अभिभाषक के तर्कों एवं तहसीलदार की आदेश पत्रिका के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि पुन: प्रतिपरीक्षण कराने के संदर्भ में समुचित तर्क नहीं किये गये है । अधीनस्थ न्यायालय में अनावेदक के साक्ष्य हेतु प्रकरण नियत है । जिसको वह अपनी बात एवं अतिरिक्त अभिलेख प्रस्तुत कर सकता है । 4. अत: तहसीलदार राहतगढ़ जिला सागर म.प्र. के आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । निगरानी आवेदन अग्राह्य किया जाता है । 03.10.2018 (आर.के.जैन) सदस्य	